

संख्या 402/92/2006-एमसी (2011 का 14)

भारत सरकार / वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून, 2011

**प्रेस विज्ञप्ति**

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले वेतनभोगी करदाताओं को कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने की योजना अधिसूचित की है, जो 31 जुलाई, 2011 को देय होगा।

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 5,00,000 रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों को, स्वीकार्य कटौतियों के बाद, जिसमें एकल नियोक्ता से वेतन और बचत बैंक खाते में जमा राशि से 10,000 रुपये तक की ब्याज आय शामिल है, अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) और बैंक ब्याज से प्राप्त पूरी आय अपने नियोक्ता को रिपोर्ट करनी होगी, स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से पूरा कर चुकाना होगा, और फॉर्म संख्या 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करने वाले, बचत बैंक खाते से वेतन और ब्याज आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय वाले, या कर वापसी के दावे वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।

यह योजना उन मामलों में भी लागू नहीं होगी जहाँ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142(1) या धारा 148 या धारा 153A या धारा 153C के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं।